सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

(सोमवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2016)

चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का आज अंतिम दिवस है । यह शीतकालीन सत्र दिनांक 15 नवम्बर से 21 नवम्बर, 2016 के मध्य आहूत था, जिसमें कुल 5 बैठकें हुई । इस सत्र में सामयिक महत्व के विषयों पर समग्र रूप से चर्चा हुई, जिसका श्रेय आप समस्त माननीय सदस्यों को है । सत्र के संचालन में सहयोग के लिये सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्रिगण, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्य सहित पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

सत्र समापन के अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त माननीय सदस्यों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, इस परिवर्तन का उद्‌देश्य फलीभूत हो और इसमें हम सबकी सहभागिता हो ऐसी मेरी अभिलाषा है । देश के लिये जो अनुकूल है उसकी स्वीकार्यता हमारा संकल्प होना चाहिये ।

वर्तमान सत्र के प्रथम दिवस 15 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण एवं विमुद्रीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर जहॉ प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सभा में इस विषय को उठाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमुद्रीकरण के निर्णय पर समर्थन स्वरूप प्रस्ताव की सूचना दी । मैंने दोनों ही सूचनाओं की ग्राह्यता के संबंध में व्यवस्था देते हुये प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय को सभा में लाने का निर्णय लिया और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी मेरी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा में हिस्सा लेकर लोक महत्व के राष्ट्रीय विषय पर अपनी बातों को रखा, इस प्रकार पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने सभा में एक बार पुनः यह स्थापित किया कि जनहित के किसी भी विषय पर मत वैभिन्न होने के बावजूद चर्चा के माध्यम से असहमति से सहमति की ओर बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रत्येक माननीय सदस्य में विद्यमान है ।

इस सदन में आप सभी विभिन्न राजनीतिक विचाराधारा एवं राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से बंधे हुये हैं, किन्तु इसके बावजूद सदन में संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं के प्रति आपके मन में दृढ़ विश्वास की मैं प्रशंसा करता हूँ । वर्तमान सत्र में एकाधिक अवसर ऐसे भी आये हैं, जिसे संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं कहा जा सकता और तत्संबंध में मैंने अपनी व्यवस्था भी दी ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली में स्वयमेव निलंबन का नियम सम्मिलित कर तथा सर्वप्रथम आचरण समिति का गठन

कर इस प्रदेश की विधान सभा ने संसद सहित राज्यों के विधान मंडलों में अपना एक पृथक स्थान बनाया है । किन्तु नियमों का होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना भी है।

मैं इस संबंध में केवल यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई माननीय सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है तो वह नियमों का उल्लंघन मात्र नहीं अपितु इस सभा की और स्वयं की अवमानना करता है, क्योंकि माननीय सदस्य इस सभा के अविभाज्य अंग हैं । मैं अपेक्षा करूंगा कि सभा में विरोध करने के मान्य तरीके अर्थात तार्किक बहस और अपवाद स्वरूप सभा से बहिर्गमन ही केवल ऐसे माध्यम हैं, जिनसे न केवल विरोध की अभिव्यक्ति की जा सकती है अपितु सरकार को निर्णय परिवर्तन के लिये बाध्य भी किया जा सकता है ।

सत्र समापन के अवसर पर मैं इस तथ्य की ओर भी सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि विगत कुछ वर्षों में विधान सभा सचिवालय के प्रयासों से सभा की कार्यवाही देखने वाले इस प्रदेश के नागरिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है । फलस्वरूप इस सत्र में स्कूल एवं कॉलेजों के 3600 छात्र–छात्रायें विधान सभा परिसर में आये और सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया । इसके साथ ही वर्तमान सत्र में 1060 पंचायत प्रतिनिधि एवं 300 सहकारिता प्रतिनिधियों ने भी सरकार की महत्वाकांक्षी **''हमर छत्तीसगढ़''** योजना के अंतर्गत विधान सभा परिसर में आये और विधान सभा की कार्यवाही के अवलोकन सहित सम्पूर्ण परिसर का भ्रमण किया तथा 4200 नागरिकों ने भी विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया । उल्लेखनीय है कि जुलाई सत्र के उपरान्त त्रिस्तरीय पंचायती राज के 24282 प्रतिनिधियों ने विधान सभा का भ्रमण किया ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से एवं इस सभा की ओर से बधाई देता हूँ । त्रिस्तरीय पंचायती राज के सबसे प्रथम पायदान पंच से लेकर जिला स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस योजना के माध्यम से उन्होंने विकसित होते हुये छत्तीसगढ़ की जानकारी गांव–गांव तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही पहुंचाने का जो कार्य किया है, उससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास को गति मिलेगी । इस योजना में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की सहभागिता भी उल्लेखनीय है ।

विधान सभा परिसर एवं इसकी कार्यवाही के अवलोकन के लिये प्रति दिन हजारों की संख्या में आने वाले आगन्तुकों को सभा की कार्यवाही से परिचित कराने में संलग्न इस सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इस अवसर पर मैं प्रशंसा करता हूँ । मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि यदि त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों, प्रदेश की युवा पीढ़ी संसदीय प्रणाली को समझेगी, उनकी इस प्रणाली में आस्था मजबूत होगी तो संसदीय लोकतंत्र भी मजबूत होगा ।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ की विधान सभा की बैठकें वर्ष 2001 के बजट सत्र से वर्तमान भवन में हो रही है । विगत वर्षों में इस भवन एवं परिसर को विधान सभा की गरिमा के अनुरूप निरंतर विकसित किया जाता

रहा है, जिसके अंतर्गत सभा भवन का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण, डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह का निर्माण, सेन्ट्रल हॉल का निर्माण, खेल प्रशाल का निर्माण और विधान सभा परिसर में बाग–बगीचों को विकसित करना आदि रहा है। इसी क्रम में द्वितीय विधान सभा के कार्यकाल में पुस्तकालय की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से एक पॉच मंजिला भवन का प्रस्ताव भी राज्य शासन ने अनुमोदित किया था, जिसका शिलान्यास दिनांक 5 जून, 2008 को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय की उपस्थिति में हुआ था ।

पुस्तकालय के साहित्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है, फलस्वरूप इसके स्थान की आवश्यकता भी वर्ष–दर–वर्ष बढ़ती है । वर्तमान में पुस्तकालय जिस भवन में स्थित है, उसमें विगत दो–तीन वर्षों से स्थान की कमी महसूस की जाती रही है । फलस्वरूप नवीन निर्माणाधीन पुस्तकालय भवन का प्रथम चरण पूर्ण होने पर यह निर्णय लिया गया कि पुस्तकाल के साहित्य को नवीन पुस्तकालय भवन में स्थानांतरित किया जाये और इसी उद्देश्य से आज प्रथम चरण का निर्माण पूर्ण होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर–कमलों से आप सबकी उपस्थिति में पुस्तकालय भवन का उद्घाटन हुआ । मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूॅ और मैं शासन की भी इस बात के लिये प्रशंसा करता हूॅ कि माननीय सदस्यों की सुख–सुविधा और संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन में शासन ने हमेशा सहयोग किया।

आगामी कुछ माह में पुस्तकालय नवीन भवन में स्थानांतरित कर दिया जायेगा ताकि आप सभी माननीय सदस्य अधिक सुविधाजनक रूप से पुस्तकालय का उपयोग कर सकें । सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में माननीय सदस्य इंटरनेट से भी जानकारी प्राप्त कर सके, इस हेतु एक कक्ष में इंटरनेटयुक्त कम्प्यूटर्स भी स्थापित किये जायेंगे ।

मैं सभा को यह भी अवगत कराना चाहता हूॅ कि विधान सभा परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य की निरंतरता में परिसर में स्वामी विवेकानंद की लगभग 14 फीट की प्रतिमा स्थापित करने तथा डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह के सन्मुख डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी की एक बस्ट स्थापित करने की कार्यवाही भी जारी है और इसी के साथ सेन्ट्रल हॉल में महापुरूषों की स्मृतियों को बनाये रखने एवं उनके देश के विकास में योगदान को चिर–स्मरणीय बनाने हेतु तैलचित्र लगाये जाने की कार्यवाही भी आरंभ की जा रही है ।

अब मैं इस शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही के सांख्यिकी आंकड़ों से आपको अवगत कराना चाहूंगा :–

इस सत्र के कुल 5 कार्य दिवसों में कुल 25 घंटे 05 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में प्रश्नों की 830 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 369 एवं अतारांकित प्रश्नों की संख्या 320 रही। इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुई एवं 1 सूचना पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में 14 अशासकीय संकल्प की सूचनायें प्राप्त हुयी, जिनमें से दो विषयों पर 3 संकल्प

ग्राह्य हुये एवं सभा में चर्चा उपरांत एक विषय से संबंधित 2 अशासकीय संकल्प की सूचनायें वापस ली गई और एक संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में कुल 166 स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से एक विषय से संबंधित 30 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को सभा में पढ़ी जाकर शासन के वक्तव्य के पश्चात् अग्राह्य किया गया । कक्ष में अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 100 रही। इस सत्र में शून्यकाल की 25 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 6 सूचनायें ग्राह्य व 19 सूचनाएं अग्राह्य रही।

इस सत्र में कुल 218 ध्यानाकर्षण की सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें 63 सूचनायें ग्राह्य व 153 सूचनाएं अग्राह्य रही। इस सत्र में कुल 5 विधेयक लाये गये एवं सभी विधेयक पारित हुए। इस सत्र में विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 8 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये तथा लोक लेखा समिति के 9 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये गये । वहीं 5 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई । इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों को पुर्नस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ।

इस सत्रकाल में माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का उपयोग किया । सभा के कार्य के संबंध में पुस्तकालय से 48 साहित्य उपलब्ध कराये गये । 3900 विजिटर्स ने विधान सभा की वेबसाइट का अवलोकन किया ।

मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभावी रूप से सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों से आम जनता को अवगत कराया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित ऐसे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जिनका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग रहा तथा राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को निर्विध्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरता से निर्वहन किया। जिला प्रशासन सहित सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका। परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी बजट सत्र फरवरी माह के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

वर्ष 2016 का यह अंतिम सत्र है । आगामी सत्र अब वर्ष 2017 में होगा, जब हम सब पुनः प्रदेश की इस सर्वोच्च पंचायत में सम्मिलित होंगे । मैं आप सबको नये वर्ष की अग्रिम बधाई देता हूँ ।

धन्यवाद

नववर्श की अग्रिम शुभकामनाएं

जय – हिन्द, जय – भारत, जय – छत्तीसगढ़